यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/81/2018 **दिनांक :** 20.07.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

सरकार ने एफआरडीआई विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया

आप सभी को ज्ञात ही है कि मंत्रिमण्डल द्वारा एफआरडीआई विधेयक को मंजूरी दिए जाने के उपरांत देश की जनता के मन में बैंकों में जमा अपने धन की सुरक्षा को लेकर चिंता और भय का वातावरण बन गया था। एआईबीईए द्वारा इस जन–विरोधी विधेयक का पुरजोर विरोध किया गया तथा विभिन्न हड़ताली कार्यवाहियों सहित संसद मोर्चा कार्यक्रम के दौरान इसको वापस लेने की माँग को प्रमुखता से उठाया। हमें आप सभी को सूचित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि अब सरकार ने इस एआरडीआई विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र संख्या 28/67/2018/30 दिनांक 20.07.2018 जारी किया है जिसका अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

अच्छी खबर - सरकार ने एफआरडीआई विधेयक वापस लेने का निर्णय लिया

जब से सरकार ने 2016 के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में एफआरडीआई विधेयक (वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक) पेश किया था, तब से हम इंगित करते आ रहे हैं कि यह विधेयक एक जन–विरोधी उपाय है और आम जमाकर्ताओं की कीमत पर कॉर्पोरेट चूककर्ताओं को मुक्त करने का एक और तरीका है। इस खतरे का समाधान करने के लिए विधेयक में 'बेल इन' वाक्यांश को जोड़ना आवश्यक है।

इसने स्वाभाविक रूप से आम जनता के मन में बहुत अधिक चिंता और भय उत्पन्न कर दिया कि बैंकों में उनका धन उतना सुरक्षित नहीं है और यह भाजपा सरकार उनकी बचतों को जोखिम में डालने के लिए कुछ भी कर सकती है। विधेयक पेश किये जाने के परिणामस्वरूप वास्तव में विभिन्न बैंकों में विभिन्न शाखाओं में भारी डर से धन निकासी हुईं और जमाराशियां बन्द हो गई थीं।

28 फरवरी, 2017 की हमारी अखिल भारतीय हड़ताल में, हम इस मुद्दे को प्रकाश में लाए और लोगों को विधेयक के नकारात्मक पहलुओं से अवगत कराया। पुनः, 22 अगस्त, 2017 की अखिल भारतीय हड़ताल में, एफआरडीआई विधेयक को वापस लेना महत्वपूर्ण मांगों में से एक थी। इसके अलावा, 15 सितम्बर, 2017 को संसद कार्यक्रम के हमारे विशाल मोर्चा में, हमने प्रमुखता से इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित कराया और यह हमारी महत्वपूर्ण मांगों में से एक थी जब यूएफबीयू के प्रतिनिधिमण्डल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की।

हम इस बात पर प्रकाश डालते रहे हैं कि यह एफआरडीआई विधेयक अनुचित है क्योंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम का वाक्यांश 45 एक बीमार बैंक का दूसरे बैंक के साथ विलय प्रदान करता है और उसमें किसी भी बैंक के परिसमापन का कोई प्रश्न नहीं है।

जारी पृष्ठ 2

हमने यह भी समझाया कि कैसे अधिनियम में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया था जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया का प्रतिनिधित्व करते हुए 1962 में साथी प्रभात कार सांसद थे।

सितम्बर 2017 में, एआईबीईए संयुक्त संसद समिति के समक्ष पेश हुई और अपना विस्तृत प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

हमने संपूर्ण 2017 के दौरान देशव्यापी अभियानों का आयोजन किया और सभी बैठकों में, इस मुद्दे को प्रकाश में लाया गया। हमने विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क किया और उनसे राजनीतिक रूप से तथा संसद में भी इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया। कई राजनीतिक दलों – कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, डीएमके और कई अन्य – ने विधेयक का विरोध किया।

चूंकि एफआरडीआई विधेयक बैंकिंग और बीमा क्षेत्र दोनों से संबंधित है, इसलिए मुद्दे को हमारे सीसीबीआईएफयू द्वारा उठाया गया और 14 जुलाई, 2018 के हमारे देशव्यापी धरना कार्यक्रम में इस पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला गया।

हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला और इसके लिए व्यापक समर्थन प्राप्त किया। प्रिंट और न्यूज मीडिया ने भी इस मुद्दे को और बड़े पैमाने पर विधेयक पर हमारे विरोध के लिए हमारे दृष्टिकोणों और कारणों को कवर किया।

इसीलिए सरकार विधेयक को एक से दूसरे संसद सत्र में टाल रही थी। लेकिन सभी तिमाहियों से समग्र प्रतिरोध को देखते हुए और अगले वर्ष चुनावों को देखते हुए, बीजेपी/एनडीए सरकार ने एफआरडीआई विधेयक के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया है।

कुछ दिन पहले, **मंत्रिमण्डल ने एफआरडीआई विधेयक को वापस लेने का औपचारिक निर्णय लिया।**

साथियों, यह हमारे आन्दोलन और इस विधेयक के विरूद्ध हमारे संघर्ष की विजय है। यह बड़े पैमाने पर लोगों के समर्थन में और लोगों की कड़ी मेहनत से अर्जित बचतों की सुरक्षा के लिए एक संघर्ष था। यह बैंकों में जनता के धन की लागत पर कॉर्पोरेट चूककर्ताओं को मुक्त करने के सरकार के प्रयासों के विरूद्ध एक संघर्ष था।

हम यहां आम जनता की दुर्दशा को याद करते हैं जब उन दिनों में निजी बैंकों में रखी उनकी बहुमूल्य बचतें डूब गई थीं जब सैंकड़ों निजी बैंक इन बैंकों के मालिकों द्वारा कुप्रबंधन के कारण बन्द कर दिए गए थे, विशेष रूप से केरला और बंगाल में। एआईबीईए ने आन्दोलनों और हड़तालों के माध्यम से इस मामले को उठाया। हमारे महान नेता और एआईबीईए के तत्कालीन महामंत्री, साथी प्रभात कार, ने सांसद होने के नाते संसद में इस मामले को गंभीरता से उठाया जिसके कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम में धारा 45 का सुरक्षित वाक्यांश जोड़ा गया और सामान्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जमा बीमा निगम की स्थापना की गई। इस प्रकार एआईबीईए हमेशा से ही लोगों के हितों का हिमायती रहा है।

आने वाले दिनों में हम बैंकिंग क्षेत्र पर अधिक से अधिक हमलों और जनता के हितों पर हमलों की उम्मीद कर सकते हैं।

जबकि हम इस जन–विरोधी एफआरडीआई विधेयक को वापस धकेलने के आन्दोलन में सबसे आगे बने रहने के लिए अपनी सभी इकाईओं तथा सदस्यों को बधाई देते हैं, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि उभरती हुई चुनौतियों के विरूद्ध जागरूक रहें तथा आगामी संघर्षों के लिए तैयार रहें।

हमारा नारा है जनता का धन जनता के कल्याण के लिए है – निजी कॉर्पोरेट लूट के लिए नहीं।

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री